

बिहार सरकार  
खान एवं भूतत्व विभाग

कार्यालय आदेश

श्री लक्ष्मण राय, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, सहरसा की दिनांक 28.02.18 को सेवानिवृत्ति के कारण श्री आलोक कुमार (सहकारिता प्रसार पदाधिकारी), खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, भागलपुर का स्थानान्तरण खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, सहरसा के पद पर की जाती है।

2. यह आदेश दिनांक 01.03.2018 के प्रभाव से लागू होगा।
3. पूर्व निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।
4. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(सुशील कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-प्र0-01-रा0(वि0)-16/17-...../एम0, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-प्र0-01-रा0(वि0)-16/17-...../एम0, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-जिला कोषागार पदाधिकारी, सहरसा/भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-प्र0-01-रा0(वि0)-16/17-...../एम0, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, सहरसा/भागलपुर/सहायक निदेशक, अंचल कार्यालय, सहरसा/भागलपुर/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-प्र0-01-रा0(वि0)-16/17-1071/एम0, पटना, दिनांक-26/2/18

प्रतिलिपि:-श्री लक्ष्मण राय, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, सहरसा/श्री आलोक कुमार (सहकारिता प्रसार पदाधिकारी), खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, भागलपुर/आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

357  
26/2/18

26/2/18

सरकार के अवर सचिव